न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

RCMS NO. - 2023/555
मिसल संख्या 67 / 2023

1. धन्नीबाई पुत्री किशना जी पत्नी श्री केशोलाल, जाति धमार (लश्करी) निवासी ग्राम सोगरिया जिला कोटा राज० हाल निवासी ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा राज०

—वादिनी

बनाम

1. माणकचंद आत्मज श्री घासीलाल
2. राजकुमार आत्मज श्री रामदयाल
3. रिंकू आत्मज श्री रामदयाल
4. गुरूदीन बाई पुत्री श्री रामदयाल
5. मनभर बाई पुत्री श्री रामदयाल
6. कविता कुमारी पुत्री श्री रामदयाल
7. छोटी बाई बैवा श्री रामदयाल
8. जशोदा बाई पुत्री श्री गौतमदास
9. भूली बाई नाबालिग पुत्री श्री गौतमदास
10. धापू बाई नाबालिग पुत्री श्री गौतमदास
11. लक्ष्मी बाई नाबालिग पुत्री श्री गौतमदास जरिये नाबालिगान की वली माता अणदी बाई बैवा गौतमदास
12. अणदी बाई बैवा गौतमदास जाति चमार (लश्करी) निवासीगण ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
13. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा

वाद अन्तर्गत धारा–88, 89, 53, 92–ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0

–: निर्णय :–

दिनांक –18/05/2026

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई प्रकरण संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वादिनी के पिता किशना जी थे, जिनका देहांत दिनांक 20.07.1989 को हो चुका है। किशना जी के वारिस व उत्तराधिकारी मे एक पुत्र घांसीलाल व दो पुत्रियां वादिनी धन्नी व मन्नी है। घांसीलाल जी का देहावसान हो चुका है जिनके वारिस व उत्तराधिकारी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 12 है।

वादिनी के पिता किशना जी की खातेदारी में मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2045 से 2048 के अनुसार ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 185 की रकबा 0.28 है०, खसरा नम्बर 395 की रकबा 1.94 है0, खसरा नम्बर 396 की रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 389/442 की रकबा 0.16 है०, खसरा नम्बर 208/451 की रकबा 0.03 है० कुल 5 किता की रकबा 2.52 हैक्टयर तथा मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2047 से 2049 के अनुसार ग्राम चन्द्रेसल, तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 920 की रकबा 2.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1044 की रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1045 की रकबा 0.13 है० कुल 3 किता की रकबा 2.29 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित रही है।

किशनाजी के देहावसान के पश्चात प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 12 के पिता, व दादा घांसीलाल जी ने राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलीभगत करते हुये पूर्णतया गलत व गैरकानूनी तरीके से ग्राम सोगरिया की उक्त 5 किता की 2.52 हैक्टयर कृषि आराजी इंतकाल नम्बर 49 दिनांक 18.03.1991 से व ग्राम चन्द्रेसल की उक्त 3 किता की 2.29 हैक्टयर आराजी इंतकाल नम्बर 100 दिनांक 18.03.1991 से अकेले स्वयं के नाम दर्ज करवा ली।

वादिनी व मन्नी द्वारा उक्त कृषि आराजियात में निहित अपने हक हिस्से के सम्बंध में घांसीलाल के पक्ष में कोई भी शपथ–पत्र आलेखित नही किया है, फिर भी घांसी जी ने राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलीभगत कर वादिनी धन्नी व मन्नी का हक हिस्सा उनका झूठा शपथ–पत्र बताकर अपने नाम दर्ज करवा लिया। उक्त झूठे शपथ–पत्र के आधार पर उक्त कृषि आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम–1 लगायत–12 के पिता व दादा घांसीलाल के नाम किया गया इन्द्राज वादिनी के हक व अधिकारो के विरूद्ध प्रारम्भ से ही शून्य, अवैधानिक व अप्रवर्तनीय है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो ने घांसीलाल जी द्वारा बताये गये झूठे, निरर्थक व कानूनन प्रभावहीन शपथ–पत्र के आधार पर इंतकाल नम्बर–49 व इंतकाल नम्बर–100 से उक्त कृषि आराजियात में निहित वादिनी धन्नी व मन्नी का हक हिस्सा प्रतिवादी नम्बर–1 लगायत 12 के पिता व दादा घांसीलाल के नाम गलत व गैरकानूनी रूप से तस्दीक कर दिये जो कानून के सर्वथा विपरीत होने से पूर्णतया अवैधानिक, प्रभावहीन व शून्य है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि किशना जी की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त दोनो गांवो की कृषि आराजियात में प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 12 के पिता व दादा घांसीलाल जी का केवल मात्र 1/3 हिस्सा निहित रहा है, किन्तु फिर भी घांसीलाल जी द्वारा उक्त सम्पूर्ण कृषि आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में पूर्णतया गलत व गैरकानूनी रूप से अपना नाम दर्ज करवाया गया है। घासीलाल जी के देहावसान के पश्चात उनके वारिस प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 12 द्वारा भी घांसीलाल जी के गलत व गैरकानूनी इन्द्राज के आधार पर उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। जो पूर्णतया गलत, गैरकानूनी व अवैधानिक है।

प्रतिवादी क्रम–4 लगायत 12 ने ग्राम सोगरिया उक्त वर्णित आराजी को अपने नाम दर्ज गलत व गैरकानूनी हिस्सा आराजी का एक हक त्याग पत्र प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 के पक्ष में आलेखित कर उक्त पांच किता की 2.52 हैक्टयर के राजस्व रिकॉर्ड में गलत व गैरकानूनी रूप से प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 3 के नाम दर्ज करवा लिया और फिर प्रतिवादी क्रम–1 लगायत–3 ने भूमाफियो से मिलीभगत कर वादनी को उक्त आराजी से वंचित करने के दुराशय से उक्त भूमि को विभिन्न भूखण्डो में बैचान व खुर्द–बुर्द करनें के दुर्भाविक आशय से उक्त पांच किता की 2.52 हैक्टयर आराजी में से खसरा नम्बर–395 की रकबा 1.94 है0 की आराजी को आबादी में सपरिवर्तन करवा लिया और भूमाफियो से मिलीभगत कर उक्त भूमि विभिन्न भूखण्डो में विभक्त कर बैचान करने पर आमदा हो गये है। जिसके कारण वादिनी द्वारा अपने हक अधिकारो की सुरक्षार्थ उक्त भूमि के सम्बंध में सिविल वाद पेश किया जा रहा है।

उक्त दोनो गांवो की कृषि आराजी किशना जी के देहान्त के पश्चात उनके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी उनके पुत्र घांसीलाल जी व वादिनी धन्नी व मन्नी को प्राप्त हुई है, और कृषि आराजी में वादनी का 1/3 कानूनी हक हिस्सा व कब्जा काश्त निहित रहा है और उक्त शामलाती कृषि आराजी में वादनी अपने 1/3 हिस्से पर शामलाती रूप से काबिज काश्त रही है। उक्त कृषि आराजियात में निहित अपने 1/3 हिस्से पर वादिनी धन्नी निरन्तर बहैसियत सह खातेदार काबिज काश्त चली आ रही है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 12 अभी हाल में ही दिनांक–28.06.2023 को कुछ प्रॉपर्टी डीलरो के साथ उक्त शामलाती भूमि पर आए और उक्त भूमि को बैचान आदि करने की बातचीत करने लगे, तो वादिनी ने प्रतिवादीगण से कहा कि तुम उक्त भूमि में मेरा भी हक हिस्सा व कब्जा है और तुम उक्त भूमि को बैचान व खुर्द–बुर्द नहीं कर सकते हो, तो प्रतिवादीगण द्वारा वादनी को धमकी दी कि वह उक्त भूमि को बैचान व खुर्द–बुर्द कर देगें, और संपरिवर्तन कराये उक्त भूमि को विभिन्न भूखण्डो में विभक्त कर उसके स्वरूप से परिवर्तित कर बैचान व खुर्द–बुर्द कर देगें। इस पर जब वादनी ने मना किया, तो प्रतिवादीगण ने वादनी को धमकी दी कि वादिनी उनका कुछ नहीं बिगाड सकती वे लोग उक्त भूमि से वादनी को बेदखल कर उक्त भूमि को बैचान व खुर्द–बुर्द कर देगे।

अतः वादिनी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिनी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे–

1– उक्त वर्णित आराजी में वादिनी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं तदनुसार इंद्राज दुरूस्ती करते हुये उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में 1/3 हिस्से पर वादिनी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे तथा उक्त कृषि भूमि का माप एवं सीमांकन अनुसार विभाजन किया जाकर विभाजन में प्राप्त 1/3 हिस्सा भूमि वादिनी को पृथक से दी जाकर उक्त विभाजन में प्राप्त 1/3 हिस्सा भूमि वादिनी को पृथक से दी जाकर उक्त विभाजन में प्राप्त भूमि वादिनी की पृथक खतोदारी में दर्ज की जावे और पृथक से लगान कायम किया जावे।

2– प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि अथवा उसके किसी भी हिस्से को बैचान व खुर्द–बुर्द ना करे, वादग्रस्त कृषि आराजियात में वादिनी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में उपयोग–उपभोग में दखलंदाजी ना करे, और ना ही वादिनी को बेदखल करे। उक्त भूमि को बिना विभाजन कराये विभिन्न भूखण्डो में संपरिवर्तन कर बैचान व खुर्द–बुर्द नही करे, ना ही निर्माण आदि करे।

प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 7 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 एवं आदेश 23 नियम 1 (3) जा0दी0 पेश कर निवेदन किया है कि

वादीनी द्वारा उक्त आराजियात के ही संबंध में इसी सहायता हेतु एक वाद पूर्व में माननीय न्यायालय में पेश किया था जिसे वादीनी द्वारा एज विड्रो निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.05.2017 को पेश किया जिसको माननीय न्यायालय द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

स्वीकार कर उक्त वाद माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2017 को एज विड्रो खारिज कर दिया गया।

माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इस वाद एवं पूर्व में प्रस्तुत वाद में विवादित भूमि, पक्षकारान एवं वाद की सहायता समान है। कानूनन उक्त आराजी के संबंध में जब पूर्व में वाद पेश किया गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा एज विड्रो खारिज कर दिया गया तो उक्त वाद का निर्णय इस वाद पत्र रेसज्यूडिकेटा का असर रखता है एवं पुनः उन्हीं आधारों पर उसी भूमि के संबंध में द्वितीय वाद चलने योग्य नहीं है इसलिये प्रस्तुत वाद इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त आधारों पर प्रस्तुत वाद को इसी स्टेज पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रतिवादी 1 लगायत 7 की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये जो निम्नानुसार है:–

[Citation: 2008 DNJ (SC) 146] SUPREME COURT OF INDIA

[Civil Appeal No. 2976 of 2004, decided on 5.2.2008]

Vimlesh Kumari Kulshrestha *Versus* Sambhajirao and Anr. Respondents

Civil Procedure Code, 1908-O. 23, R. 1-Scope-Suit for specific performance of agreement-First suit withdrawn after filing of 2nd suit-In first suit objection raised for non-payment of proper Court fees-Suit decreed but High Court reversed the judgment and decree by holding that suit on same cause of action was not maintainable in absence of the permission and the agreement being vague, no decree could be granted-Second suit filed before filing the application of withdrawal of first suit-Provision of O. 23, R. 1 was not applicable to the facts and circumstances of the present case-Respondent objected to withdraw of suit only on the ground that legal cost therefor should be paid and respondent accepted the cost and permission granted to withdraw the suit-Map attached to the plaint not proved and the appellant was not the tenant in entire house and plaintiff admitted that no map was attached to the agreement-Appellant was a tenant in part of the premises-No definite description of the property and agreement to sale was uncertain-Held, High Court has not committed any error in passing the judgment and decree.

[Citation: 2024(1) DNJ (Raj.) 338] RAJASTHAN HIGH COURT

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

S.B. Civil Writ Petition No. 2484 of 2024; decided on 22.2.2024

Bhalesingh Versus Karnaram & Ors.

Civil Procedure Code, 1908-0. 23, R. 1(3)-Application filed to withdraw the suit with liberty to file fresh-Trial Court allowed to withdraw the suit but no liberty was granted-Petitioner/plaintiff has rendered remediless since the suit was allowed to withdraw without liberty to file fresh-Second suit filed without liberty would be barred res judicata-Held, Order is not lawful and set aside.

2003(2) DNJ [Raj.] 1001 RAJASTHAN HIGH COURT

S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 1002 of 2003: decided on 12.3.2003

Hari Ram. versus Lichmaniya & Ors.

Civil Procedure Code, 1908-0.23 R. 1, Sec. 11-Scope of-Once a suit filed and withdrawn without leave of Court to file fresh suit then plaintiff cannot be permitted to file second suit for subject which was involved in previous suit-Withdrawal of suit without permission of Court to file fresh suit bars second suit.

बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली एवं सलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया एवं बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के क्रम मे धारा 11 सीपीसी से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। धारा 11 सीपीसी अनुसार –

"No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially issue in a former sit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue had been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court."

स्पष्टया धारा 11 सीपीसी यह प्रमाणित करती है कि यदि किसी मामले पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा चुका है तो उसी मुद्दे पर बाद मे कोई दुसरा मुकदमा उसी न्यायलय के नही चलाया जा सकता। धारा 11 किसी भी न्यायालय को ऐसे मामले पर विचार करने की अनुमति नही देती है जिस पर पहले ही उसी न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा चुका हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

Cases Referred

ऐसा निर्णय किसी भी पक्ष के बीच या उनके उत्तराधिकारियों के बीच किसी पूर्व वाद मे सीधे और ठोस रूप से तय कर दिया गया हो।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम मे आदेश 23 नियम 1(3) से भी ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया गया–

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 (3) के तहत वादी को अदालत की अनुमति से अपना मुकदमा वापस लेने का अधिकार मिलता है, जिसमें उसे उसी वाद–कारण पर भविष्य में नया मुकदमा दायर करने की छूट भी मिल सकती है।

मुख्य प्रावधान (आदेश 23 नियम 1 (3)–अदालत निम्नलिखित दो परिस्थितियों में से किसी एक के आधार पर नया मुकदमा दायर करने की अनुमति दे सकती है

तकनीकी आधार– यदि मुकदमे में कोई तकनीकी त्रुटि या औपचारिक दोष है।

अन्य पर्याप्त आधार – यदि न्यायालय को लगता है कि दावे को वापस लेने और दोबारा दायर करने के लिए कोई अन्य ठोस और पर्याप्त कारण मौजूद है।

पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि वादिनी धन्नी बाई द्वारा पूर्व मे एक बार धन्नी बाई बनाम माणकचंद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 10.05.2017 को एज विड्रो खारिज किया गया। पत्रावली मे संलग्न न्यायालय नोटशीट की प्रति से प्रमाणित होता है कि वादिनी धन्नी बाई द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि वह वाद को आगे नही चलाना चाहती है और इसी आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण एज विड्रो खारिज किया गया।

हस्तगत प्रकरण मे प्रमाणित है कि वादिनी द्वारा पूर्व वाद खारिज करवाते समय नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति का ना तो न्यायालय से अनुरोध किया गया था और ना ही न्यायालय द्वारा वादिनी को वाद एज विड्रो खारिज करवाते समय नवीन वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी।

पत्रावली मे संलग्न पूर्व प्रकरण के दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2017 को निस्तारित वाद के पक्षकारान तथा विषयवस्तु लगभग समान है उक्त परिस्थिति मे संलग्न न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाशनों हस्तगत प्रकरण रेसुजुडिकेटा से बाधित है।

विद्वान अभिभाषक वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि रेसजुडिकेटा का प्रश्न विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जिसे बाद साक्ष्य गुणावगुण पर निर्णित किया जा सकता है। हमारे विनम्र मत मे जबकि यह स्पष्टतया प्रमाणित है कि हस्तगत विषयवस्तु के संबंध मे पूर्व मे भी वाद इसी न्यायालय मे जैरकार रहा तथा एज विड्रो खारिज किया गया, हस्तगत वाद रेसजुडिकेटा से प्रभावित होना प्रमाणित होता है।

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

धारा 11 सीपीसी से यह प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण रेसजुडीकेटा से प्रभावित है तथा इस न्यायालय को प्रष्नगत वाद को सुनने का अधिकार प्राप्त नही है।

उक्त परिस्थिति मे हम प्रतिवादी 1 लगायत 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 एवं धारा 151 जा0दी0 एवं आदेश 23 नियम 1(3) जा0दी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः प्रतिवादी 1 लगायत 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तगर्त आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 एवं धारा 151 जा0दी0 एवं आदेश 23 नियम 1(3) जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रसतुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 एवं 92 ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, कोटा